16/12/24 पत्रावली PUKS बोरुंदा कैम्प से पेश
अप्रार्थी ने जवाब पेश किया जो शा० पत्रावली
है। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के अनुसार खातेदार
कब्जाधारियों द्वारा अतिक्रमण की बात कही है
लेकिन अतिक्रमणकर्ताओं को पक्षकार नहीं बनाया
गया साथ ही पैमाईश रिपोर्ट भी संलग्न

नहीं अत: प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पक्षकारों की असंयोजन होने तथा अपूर्ण दस्तावेजों के साथ पेश किये जाने के कारण खारिज किये जाने योग्य होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल हुआ होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

16/1/24

उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर (जोधपुर)